न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/60/2023	2023/324	26.07.2023	20.11.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर मुख्यालय अलवर (राजस्थान)।

—प्रार्थी

बनाम

01. शरीफ खां टी स्टॉल, बख्तल की चौकी, अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (2 एचपी एवं 5 आईओसी), को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री विनोद जुनेजा (प्रवर्तन अधिकारी, अलवर) —विभागीय प्रतिनिधि

::निर्णय ::——

प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (2 एचपी एवं 5 आईओसी), को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6—ए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 20.10.2022 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु बख्तल की चौकी, अलवर पर पहुंचे। मौके पर श्री शरीफ खां पुत्र श्री भप्पू खां, निवासी गुर्जर कॉलोनी, बख्तल की चौकी की चाय की थड़ी पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (2 एचपी एवं 5 आईओसी) मिले। श्री शरीफ खां पुत्र श्री भप्पू खां द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री शरीफ खां पुत्र श्री भप्पू खां के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है. जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (2 एचपी एवं 5 आईओसी) को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (2 एचपी एवं 5 आईओसी) को मै० शिवओम गैस एजेंसी, मालाखेडा जिला अलवर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (2 एचपी एवं 5 आईओसी) को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि० नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद रजि० तलबी/तामील के अनुपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता अनु०। अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर के अनुसार मौके पर श्री शरीफ खां पुत्र श्री भप्पू खां, निवासी गुर्जर कॉलोनी, बख्तल की चौकी की चाय की थड़ी पर अवैध रूप से भण्डारण किये गये 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

(2 एचपी एवं 5 आईओसी) मिले। वक्त जांच श्री शरीफ खां पुत्र श्री भप्पू खां द्वारा घरेलू सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री शरीफ खां पुत्र श्री भप्पू खां के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है. जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (2 एचपी एवं 5 आईओसी), को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 7 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा (2 एचपी एवं 5 आईओसी), सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/11/24

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)